

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

निदेशक,
एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—ए0बी0डी0एम0यू0पी0 / 2025 / 456

दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषय— दिनांक 19 फरवरी, 2025 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 19 फरवरी, 2025 को सायं 05:00 बजे फिजिकल एवं वर्चुअल माध्यम से आहूत बैठक में निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये थे—

1. लैब सेवा प्रदाता के साथ एकीकरण पूर्ण किया जाना है।
2. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु भुगतान पेमेन्ट गेटवे के इन्टीग्रेशन के माध्यम से किया जाना है।
3. राज्य स्तरीय डैशबोर्ड नियमित पर्यवेक्षण हेतु बनाया जाना है जिसमें प्रदेश, जनपदवार (LGD कोड), फ़ैसिलिटीवार (HFR) डाटा डाउनलोड किया जाना संभव हो।
4. स्कैन और पे के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जानी है।
5. नेक्स्टजेन एन0आई0सी0 का डी0वी0डी0एम0एस0 सी-डेक के साथ इन्टीग्रेशन किया जाना है।
6. नेक्स्टजेन एन0आई0सी0 का ई-संजीवनी सी-डेक के साथ इन्टीग्रेशन किया जाना है।
7. नेक्स्टजेन एन0आई0सी0 का ई-कवच के साथ इन्टीग्रेशन किया जाना है।

उक्त के क्रियान्वयन हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10 मार्च, 2025 को प्रातः 11:00 बजे एक बैठक आहूत की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से ससमय आवश्यक कार्यवाही करते हुये उक्त की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 06 मार्च, 2025 तक उपलब्ध कराने एवं उक्त तिथि को आहूत बैठक में समस्त सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीया



(रितु माहेश्वरी)

(आई0ए0एस0)

मिशन निदेशक

आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन, उ0प्र0।

पत्रांक—ए0बी0डी0एम0यू0पी0 / 2025 /

तददिनांक:

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. गार्ड फाइल।

(डा0 मोहित सिंह)

संयुक्तनिदेशक

आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन, उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
आयुज्जान भारत डिजीटल मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

निदेशक,
एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-एनबीडीओएमओपीओ/2025/

दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषय:- दिनांक 19 फरवरी, 2025 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 19 फरवरी, 2025 को सायं 05:00 बजे फिजिकल एवं वर्चुअल माध्यम से आहूत बैठक में निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये थे:-

1. लैव सेवा प्रदाता के साथ एकीकरण पूर्ण किया जाना है।
2. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु भुगतान पेमेंट गेटवे के इन्टीग्रेशन के माध्यम से किया जाना है।
3. राज्य स्तरीय डैशबोर्ड नियमित पर्यवेक्षण हेतु बनाया जाना है जिससे प्रदेश, जनपदवार (LGD कोड), फैसिलिटीवार (HFR) डाटा डाउनलोड किया जाना संभव हो।
4. स्कैन और पे के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जानी है।
5. नेक्स्टजेन एनआईसी का डीवीडीओएमओपीसी-डेक के साथ इन्टीग्रेशन किया जाना है।
6. नेक्स्टजेन एनआईसी का ई-संजीवनी सी-डेक के साथ इन्टीग्रेशन किया जाना है।
7. नेक्स्टजेन एनआईसी का ई-कवच के साथ इन्टीग्रेशन किया जाना है।

उक्त के क्रियान्वयन हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10 मार्च, 2025 को प्रातः 11:00 बजे एक बैठक आहूत की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से ससमय आवश्यक कार्यवाही करते हुये उक्त की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 06 मार्च, 2025 तक उपलब्ध कराने एवं उक्त तिथि को आहूत बैठक में समस्त सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीया

(रितु माहेश्वरी)
(आईएफएस)

मिशन निदेशक
आयुज्जान भारत डिजीटल मिशन, उओप्रओ।

पत्रांक:-एनबीडीओएमओपीओ/2025/457(1-3) तददिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उओप्रओ शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उओप्रओ शासन।
3. गार्ड फाइल।

(डा० मोहित सिंह)
संयुक्तनिदेशक
आयुज्जान भारत डिजीटल मिशन, उओप्रओ।